

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

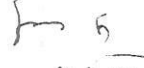
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-ri@nic.in)

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (एस-440/90)(लिंक नं. 2863)/ अलेसे-11/1020 दिनांक :- 20.1.20

कार्यालय आदेश

श्री गिरधारी लाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कोषालय सचिवालय, जयपुर तथा सेकिण्डमेंट बेसिस पर संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व/आमाडि) विभाग, सचिवालय, जयपुर ने नाम परिवर्तन की सूचना राजस्थान राज-पत्र दिनांक 30 जून, 2016 भाग-7, अंक 13, पृष्ठ सं. 567 में प्रकाशित होने एवं बंध पत्र की सूचना राजस्थान पत्रिका दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 के संस्करण के पृष्ठ संख्या 11 में प्रकाशित होने पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8 के निर्णय 5 के अनुसरण में उनका नाम “गिरधारी लाल” के स्थान पर “गिरधारी लाल सैनी” किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

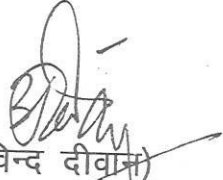
भविष्य में “गिरधारी लाल” के स्थान पर “गिरधारी लाल सैनी” के नाम से जाना जावेगा।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (एस-440/90)(लिंक नं. 2863)/ अलेसे-11/1020 दिनांक :- 20.1.20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व/आमाडि) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. कोषालय सचिवालय, जयपुर।
3. श्री गिरधारी लाल सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय कोषालय सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक महोदय, कोष एवं लेखा।
5. उप निदेशक, ए.सी.पी. हाजा।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)